

अध्याय-III
बजटीय प्रबंधन

अध्याय - III


बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समक्ष राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, रखवाएगा। व्यय के प्राक्कलन, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों¹ को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट से सम्बन्धित जरूरी शब्दों की शब्दावली परिशिष्ट 3.1 में दर्शाई गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को समेकित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदान-मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट चार्ट-3.1 में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिल कर बनता है।


चार्ट-3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों तथा घटकों का विवरण



1 **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती है तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

वर्ष 2021-22 के लिए बजट कार्यान्वयन का सारांश नीचे चार्ट-3.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट-3.2: वर्ष 2021-22 के बजट कार्यान्वयन का सारांश



विधायिका द्वारा प्राधिकरण

सरकार द्वारा कार्यान्वयन

स्रोत: बजट नियमावली व विनियोजन लेखे में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश

वर्ष 2021-22 में व्यय के लिए कुल बजट प्रावधान ₹ 55,714.72 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 50,129.36 करोड़ (90 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5,585.36 करोड़ (10 प्रतिशत) की बचत हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान सभी 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका-3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

| कुल बजट प्रावधान | | संवितरण | | बचत(-)/ आधिक्य(+) | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|
| दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित |
| 45,270.18 | 10,444.54 | 41,019.93 | 9,109.43 | -4,250.25 | -1,335.11 |

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के रूप में वर्गीकृत कुल बजट व संवितरण की स्थिति तालिका-3.2 में दी गई है।

तालिका-3.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान संवितरण एवं बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कुल बजट प्रावधान | | संवितरण | | बचत(-)/ आधिक्य(+) | |
|---------|------------------|----------|---------|----------|-------------------|----------|
| | दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित |
| 2017-18 | 33,869 | 7,399 | 30,440 | 7,371 | -3,428 | -28 |
| 2018-19 | 37,936 | 9,048 | 33,620 | 8,849 | -4,316 | -199 |
| 2019-20 | 42,255 | 11,453 | 34,507 | 11,021 | -7,748 | -432 |
| 2020-21 | 45,157 | 16,440 | 37,440 | 15,699 | -7,717 | -741 |
| 2021-22 | 45,270 | 10,445 | 41,020 | 9,110 | -4,250 | -1,335 |

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि तालिका-3.2 से स्पष्ट है, 2017-18 के बाद से दोनों प्रभागों (अर्थात् दत्तमत एवं प्रभारित) में बढ़ती प्रवृत्ति के साथ बचत हुई। यह इंगित करता है कि राज्य सरकार को अपने बजट प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है। परिच्छेद-3.3.7 में पर्याप्त एवं निरंतर बचत के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं तथा इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1 विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका-3.3 बिना किसी बजट प्रावधान के किए गए व्यय की सारांशित स्थिति दर्शाती है। यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका-3.3: बजट प्रावधान के बिना किए व्यय का सारांश

| अनुदान/ विनियोजन | लेखा शीर्ष | व्यय (₹ लाख में) | योजना/ उप शीर्ष के नाम |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| दत्तमत | | | |
| 5 | 2245-01-101-07-C00N | 360.00 | दवा आपूर्ति पर व्यय |
| | 2245-01-102-01-C00N | 80.00 | ट्रकों आदि द्वारा पेयजल आपूर्ति। |
| | 2245-02-101-01-C00N | 3,070.00 | बाढ़, चक्रवातों के तहत मुफ्त राहत (नकदी सहायता)। |
| | 2245-02-102-01-C00N | 50.00 | पेयजल पर व्यय |
| | 2245-02-106-01-C00N | 24,500.00 | सड़कों व पुलों की मरम्मत |
| | 2245-02-109-01-C00N | 13,400.00 | क्षतिग्रस्त जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवरेज कार्यों पर व्यय |
| | 2245-02-111-01-C00N | 3049.00 | अनुग्रह राशि भूगतान |
| | 2245-02-113-01-C00N | 792.00 | घरों की मरम्मत व निर्माण हेतु सहायता |
| | 2245-02-193-01-C00N | 6,480.00 | स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी बोर्डों/संस्थाओं को सहायता |
| | 2245-80-102-02-S00N | 1,000.00 | तेरहवें वित्त आयोग के तहत क्षमता निर्माण पर व्यय |
| 8 | 2202-02-109-15-S00N | 1,684.09 | श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना |
| | 2202-80-107-09-S50N | 413.00 | अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति |
| 9 | 2211-00-200-12-C00N | 213.00 | भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी हेतु पैकेज |
| 10 | 4059-01-051-15-S00N | 1.94 | न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का उन्नयन |
| 11 | 2401-00-789-22-A00N | 0.50 | सामान्य विस्तार गतिविधियाँ |
| | 2401-00-800-14-S00N | 134.24 | फसल विविधीकरण परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) |
| 14 | 2405-00-101-07-C53N | 33.74 | नीली क्रांति-मत्स्य पालन का एकीकृत विकास व प्रबंधन |
| | 2405-00-101-07-C90N | 314.57 | |
| | 2405-00-101-07-S10N | 25.92 | |
| | 2405-00-101-07-S13N | 10.55 | |
| 20 | 2505-02-101-01-C00N | 200.00 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) |
| | 2515-00-102-23-C00N | 533.61 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) |
| | 2515-00-197-05-S00N | 905.49 | पंचायत समितियों को अनुदान |
| | 4216-03-800-01-S00N | 115.00 | पंचायत इंस्पेक्टर/सब इंस्पेक्टर के आवास का निर्माण |
| 22 | 4408-02-101-02-C00N | 37.94 | हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम |
| 28 | 2217-80-193-17-S00N | 100.00 | बाल उद्यानों का विकास |
| 30 | 4059-80-051-06-S00N | 161.20 | हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान भवनों का निर्माण |
| 31 | 2405-00-796-07-C53N | 1.79 | नीली क्रांति |
| | 2405-00-796-07-S13N | 0.56 | |
| 32 | 2216-03-789-05-S00N | 91.35 | मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का रखरखाव |
| | 2405-00-789-07-C53N | 23.82 | नील क्रांति एकीकृत मत्स्य पालन प्रबंध एवं विकास |
| | 2405-00-789-07-C90N | 138.87 | |
| | 2405-00-789-07-S10N | 16.38 | |
| | 2405-00-789-07-S13N | 7.45 | |
| | 2515-00-789-10-S00N | 11.55 | पंचायती राज विभाग/ पंचायती राज संस्थाओं का उन्नयन |
| | 4210-03-789-04-S10N | 22.31 | चिकित्सा महाविद्यालय नाहन |
| | 4711-01-800-05-S00N | 0.99 | आरआईडीएफ नाबार्ड के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय |
| | 5055-00-789-03-S00N | 403.00 | अनुमंडल/ब्लॉक स्तरों पर बस स्टैंडों का निर्माण |
| योग | | 58,383.86 | |

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 व्यय का गलत वर्गीकरण

व्यय व प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर गहरा प्रभाव डालता है। राज्य के वित्तीय नियम विनियोजन की प्राथमिक इकाइयों को श्रेणीबद्ध करते हैं। पूंजीगत परिसंपत्ति एवं अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण का प्रावधान रखने के लिए विशिष्ट वस्तु शीर्ष बनाए गए हैं। पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग से संबंधित ये वस्तु शीर्ष केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होने चाहिए। राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय में अथवा पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय में वर्गीकरण, राजस्व व्यय की अत्योक्ति/ न्यूनोक्ति तथा राजस्व घाटा/ अधिशेष में परिणत होता है।


वर्ष 2021-22 में लेनदेन की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 2.77 करोड़ के व्यय को व्यय के उद्देश्य से निर्धारित पूंजीगत वर्ग के बजाय राजस्व वर्ग के तहत गलत तरीके से बुक किया गया था। इस गलत वर्गीकरण के कारण राज्य के राजस्व घाटे में अधिकतम ₹ 2.77 करोड़ की न्यूनोक्ति रही।

3.3.3 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर कोई पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन किया जा सकता है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता। जब ऐसे अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य हो एवं पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय आधिक्य को पूरा करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत की कोई संभावना न हो, तो संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन हेतु प्रस्ताव देते हैं।

2021-22 के दौरान 11 अनुदानों (राजस्व-दत्तमत/पूंजीगत-दत्तमत) के तहत 13 मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 647.13 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका-3.4) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। 12 मामलों (तालिका 3.5) में ₹ 876.14 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि कुल ₹ 1,706.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (चार्ट-3.3)।

चार्ट-3.3: अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका-3.4: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | वास्तविक व्यय | मूल प्रावधानों से बचत |
|------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| राजस्व-दत्तमत | | | | | |
| 1. | 04- सामान्य प्रशासन | 258.44 | 18.13 | 248.87 | 9.57 |
| 2. | 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 2,415.89 | 84.25 | 2,256.28 | 159.61 |
| 3. | 11- कृषि | 381.39 | 8.83 | 352.30 | 29.09 |
| 4. | 16- वन एवं वन्यजीव | 710.41 | 58.56 | 634.58 | 75.83 |
| 5. | 19- सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 1,233.63 | 15.34 | 1,202.59 | 31.04 |
| 6. | 20- ग्रामीण विकास | 1,103.60 | 125.51 | 1,095.01 | 8.59 |
| 7. | 21- सहकारिता | 34.93 | 0.69 | 33.89 | 1.04 |
| 8. | 26- पर्यटन | 117.53 | 24.95 | 94.03 | 23.50 |
| 9. | 32- अनुसूचित जाति उप योजना | 2,025.47 | 53.19 | 1,937.17 | 88.30 |
| पूँजीगतदत्तमत - | | | | | |
| 10. | 13- सिंचाई, जलापूर्ति और स्वच्छता | 755.24 | 49.89 | 731.67 | 23.57 |
| 11. | 16- वन और वन्यजीव | 11.30 | 0.26 | 10.20 | 1.10 |
| 12. | 28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास | 181.82 | 2.24 | 85.02 | 96.80 |
| 13. | 32- अनुसूचित जाति उप योजना | 1,600.60 | 205.31 | 1,415.45 | 185.15 |
| योग: | | 10,830.26 | 647.13 | 10,097.05 | 733.21 |

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका-3.5: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

| क्र.सं. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | वास्तविक व्यय | आधिक्य |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| राजस्व-दत्तमत | | | | | |
| 1. | 05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन | 1,298.70 | 7.67 | 1,773.33 | 466.96 |
| 2. | 12-उद्यान | 370.46 | 102.74 | 497.36 | 24.16 |
| 3. | 23- विद्युत विकास | 269.99 | 183.97 | 1,490.94 | 1,036.98 |
| पूँजीगत - दत्तमत | | | | | |
| 4. | 05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन | 13.68 | 64.40 | 98.32 | 20.24 |
| 5. | 07- पुलिस और संबद्ध संगठन | 67.54 | 20.52 | 96.53 | 8.47 |
| 6. | 08-शिक्षा | 91.38 | 133.31 | 239.73 | 15.04 |
| 7. | 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 92.66 | 118.45 | 229.36 | 18.25 |
| 8. | 17-चुनाव | 0.75 | 19.30 | 39.35 | 19.30 |
| 9. | 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी | 31.84 | 5.38 | 111.88 | 74.67 |
| 10. | 20- ग्रामीण विकास | 0.59 | 13.42 | 18.85 | 4.84 |
| 11. | 25- सड़क और जल परिवहन | 110.55 | 194.86 | 319.23 | 13.82 |
| 12. | 27- श्रम रोजगार और प्रशिक्षण | 83.35 | 12.12 | 98.87 | 3.40 |
| योग: | | 2,431.49 | 876.14 | 5,013.76 | 1,706.13 |

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पूरक अनुदान की मांग इस तर्क के आधार पर की गई थी कि संबंधित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त व्यय किया जाना था, फिर भी 13 मामलों में अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था जैसाकि तालिका-3.4 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जैसाकि तालिका-3.5 में दर्शाया गया है, 12 मामलों में पूरक प्रावधान

अपर्याप्त थे क्योंकि वास्तविक व्यय कुल बजट प्रावधान से अधिक था। उपरोक्त दृष्टांत दर्शाते हैं कि प्रशासनिक विभाग व्यय की खराब निगरानी करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु वास्तव में आवश्यक निधियों का उचित आंकलन/ अनुमान नहीं कर पाया था।

3.3.4 पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता वाले पुनर्विनियोजन

‘पुनर्विनियोजन’ का तात्पर्य है, विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरित करना। सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है, इस प्रकार एक मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्यार्थ निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन बदल दिया जाता है। विधानसभा की सम्मति से एक निश्चित प्रयोजन हेतु किए गए अनुपूरक अनुदानों से किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया गया तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

वर्ष 2021-22 के दौरान एक अनुदान से दूसरे अनुदान में या अनुपूरक अनुदान से पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया।

अनुदानों के अंतर्गत अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग के मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

3.3.5 अनावश्यक एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे कई मामले थे जहां पुनर्विनियोजन या तो अनावश्यक या अपर्याप्त सिद्ध हुए, जिसका विवरण परिशिष्ट-3.2 में दर्शाया गया है। तालिका-3.6 व तालिका-3.7 क्रमशः अनावश्यक एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के कुछ प्रमुख दृष्टांतों (₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत) का विवरण दर्शाती हैं।

तालिका-3.6: अनावश्यक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | कुल | वास्तविक व्यय | बचत |
|---------|--------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 | 05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन | 2029-00-103-02 | 118.76 | 1.06 | 0.06 | 119.88 | 107.10 | -12.78 |
| 2 | | 2053-00-093-01 | 163.05 | 0.93 | 0.66 | 164.65 | 138.85 | -25.79 |
| 3 | | 2245-08-101-01 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | -91.00 |
| 4 | 07- पुलिस एवं संबद्ध संगठन | 2055-00-108-01 | 94.05 | 0.00 | 8.61 | 102.66 | 85.29 | -17.37 |
| 5 | | 2055-00-109-03 | 69.47 | 0.00 | 2.25 | 71.72 | 59.84 | -11.88 |
| 6 | 08- शिक्षा | 2202-01-104-02 | 70.44 | 0.00 | 0.36 | 70.80 | 58.40 | -12.40 |
| 7 | 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 2210-01-110-03 | 284.70 | 0.00 | 5.36 | 290.06 | 235.19 | -54.87 |
| 8 | | 2210-05-105-06 | 139.07 | 0.00 | 0.04 | 139.11 | 124.36 | -14.75 |
| 9 | | 5054-04-337-02 | 253.37 | 0.00 | 9.22 | 262.59 | 248.86 | -13.74 |

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | कुल | वास्तविक व्यय | बचत |
|---------|---|----------------|---------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 10 | 10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन | 5054-04-337-09 | 355.37 | 99.96 | 5.34 | 460.67 | 438.13 | -22.54 |
| 11 | 20-ग्रामीण विकास | 2515-00-196-07 | 22.48 | 0.00 | 4.48 | 26.96 | 13.48 | -13.48 |
| 12 | | 2515-00-197-07 | 21.86 | 0.00 | 4.21 | 26.08 | 13.25 | -12.83 |
| 13 | | 2515-00-198-06 | 102.02 | 2.83 | 19.58 | 124.43 | 61.83 | -62.60 |
| 14 | 28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास | 4215-02-106-02 | 134.66 | 2.24 | 0.30 | 137.20 | 38.65 | -98.55 |
| 15 | 31- जनजातीय विकास | 2055-00-796-01 | 56.49 | 0.00 | 0.66 | 57.15 | 46.80 | -10.35 |

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका-3.7: अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक | पुनर्विनियोजन | कुल | वास्तविक व्यय | आधिक्य |
|----------|--|----------------|---------|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 | 05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन | 2245-02-106-01 | 0.00 | 0.00 | 65.15 | 65.15 | 131.18 | 66.03 |
| 2 | | 2245-02-109-01 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 70.50 | 24.50 |
| 3 | | 2245-02-111-01 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 101.24 | 66.24 |
| 4 | | 2245-02-193-01 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 59.90 | 18.50 |
| 5 | | 2245-80-102-05 | 0.00 | 0.00 | 22.72 | 22.72 | 37.07 | 14.35 |
| 6 | 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 2211-00-200-12 | 0.00 | 75.78 | 3.65 | 79.43 | 171.39 | 91.96 |
| 7 | 10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन | 3054-04-105-02 | 325.24 | 0.00 | 0.60 | 325.84 | 336.84 | 11.00 |
| 8 | 15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना | 5054-04-800-06 | 38.00 | 0.00 | 7.27 | 45.27 | 55.81 | 10.54 |
| 9 | 32- अनुसूचित जाति उप योजना | 2225-01-789-08 | 10.00 | 0.00 | 5.55 | 15.55 | 32.35 | 16.80 |
| 10 | | 2236-02-789-01 | 17.91 | 0.00 | 0.50 | 18.41 | 29.24 | 10.83 |

उपरोक्त सभी मामलों में संबंधित योजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए, मार्च 2022 के माह में पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे। तथापि तालिका-3.6 में दर्शाए गए 15 मामलों में पुनर्विनियोग (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ व अधिक की बचत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि इन मामलों में बचत पुनर्विनियोजन राशि से अधिक थी। दूसरी ओर, तालिका-3.7 में दर्शाए गए 10 मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त साबित हुआ क्योंकि इन अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य बना हुआ था।

यद्यपि 2021-22 के दौरान पूंजीगत से राजस्व में तथा राजस्व से पूंजीगत में एवं दत्तमत से प्रभारित या प्रभारित से दत्तमत में पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं देखा गया।

3.3.6 बचत

पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बजट में हर उस चीज का, जिसे पहले से भांपा जा सके, प्रावधान करने तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए।

प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते हैं, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यर्पण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, व्यय पर खराब निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता/ कमजोर आंतरिक नियंत्रण ने वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को प्रोत्साहित किया तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को बढ़ाया। अत्यधिक बचत ने अन्य विभागों को भी निधियों से वंचित किया जिसे उपयोग किया जा सकता था।

(i) आबंटन की तुलना में बचत

विनियोजन के विश्लेषण से पता चला कि 45 मामलों में, बचत कुल प्रावधान के ₹ एक करोड़ या उससे अधिक हुई, जैसाकि परिशिष्ट-3.3 में विवर्णित है। इन मामलों में ₹ 50,688 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 7,363 करोड़ विभिन्न अनुदानों में बचत के रूप में शेष रहे। ₹ 7,363 करोड़ की कुल अप्रयुक्त राशि/बचत में से ₹ 6,641 करोड़ (90 प्रतिशत) की राशि के 10 अनुदानों (दत्तमत व प्रभारित) से संबंधित 14 मामलों में पर्याप्त बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ व अधिक) देखी गई, जिसका विवरण तालिका-3.8 में दिया गया है।

तालिका-3.8: वर्ष के दौरान बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदानों की सूची

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | मूल | अनुपुरक | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत | अभ्यर्पण | अभ्यर्पण को छोड़ कर बचत |
|-----------------|---------------|----------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | | | |
| 1 | 07 | 1,550.83 | 0.00 | 1,550.83 | 1,306.08 | -244.75 | -163.35 | -81.40 |
| 2 | 08 | 7,087.45 | 0.00 | 7,087.45 | 5,991.02 | -1,096.43 | -717.67 | -378.76 |
| 3 | 09 | 2,415.89 | 84.25 | 2,500.13 | 2,256.28 | -243.85 | 0.00 | -243.85 |
| 4 | 10 | 3,733.35 | 0.00 | 3,733.35 | 2,538.89 | -1,194.46 | -1,028.24 | -166.22 |
| 5 | 16 | 710.41 | 58.56 | 768.96 | 634.58 | -134.39 | -82.42 | -51.97 |
| 6 | 20 | 1,103.60 | 125.51 | 1,229.11 | 1,095.01 | -134.10 | 0.00 | -134.10 |
| 7 | 29 | 7,203.58 | 0.00 | 7,203.58 | 6,495.11 | -708.47 | -562.52 | -145.95 |
| 8 | 31 | 1,664.21 | 0.00 | 1,664.21 | 1,260.79 | -403.42 | -112.92 | -290.50 |
| 9 | 32 | 2,025.47 | 53.19 | 2,078.66 | 1,937.17 | -141.50 | -8.31 | -133.19 |

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | मूल | अनुपुरक | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत | अभ्यर्पण | अभ्यर्पण को छोड़ कर बचत |
|---------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| राजस्व (प्रभारित) | | | | | | | | |
| 10 | 29 | 5,017.57 | 0.00 | 5,017.57 | 4,640.79 | -376.78 | -562.52 | 185.74 |
| पूँजीगत (दत्तमत) | | | | | | | | |
| 11 | 26 | 578.39 | 0.00 | 578.39 | 82.18 | -496.21 | -519.17 | 22.96 |
| 12 | 31 | 574.14 | 0.00 | 574.14 | 444.04 | -130.10 | -2.42 | -127.69 |
| 13 | 32 | 1,600.60 | 205.31 | 1,805.91 | 1,415.45 | -390.46 | -278.88 | -111.58 |
| पूँजीगत (प्रभारित) | | | | | | | | |
| 14 | 29 | 5,333.51 | 0.00 | 5,333.51 | -946.41 | -946.23 | -946.41 | 0.19 |
| योग | | 40,598.99 | 526.82 | 41,125.81 | 34,484.66 | -6,641.15 | -4,984.81 | -1,656.33 |


स्रोत: विनियोजन लेखे

बचत दोनों क्षेत्रों अर्थात् सामाजिक एवं अवसंरचना के अंतर्गत देखी गई। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण, शिक्षा, वित्त, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों को न भरने, प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित में परिवर्तित न करने, विभिन्न योजनाओं/ कार्यों के आदि के रखरखाव पर व्यय न करने के कारण बड़ी बचत देखी गई। इसके अतिरिक्त अंतिम बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त वेतन एवं पेंशन के अंतर्गत भी बचत हुई क्योंकि पूरे वित्तीय वर्ष में वेतनमान के संशोधन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमानों का आकलन किया गया था। हालांकि प्रक्रिया में देरी के कारण 2021-22 की अंतिम तिमाही में वेतनमान को संशोधित किया गया था, इसलिए संशोधन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिया।

इसके अतिरिक्त अवसंरचना (पूँजी) क्षेत्र के तहत पर्यटन व नागरिक उड्डयन, जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य), लोक निर्माण आदि के मुख्य रूप से विभिन्न विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन एवं हवाई अड्डों/हेलीपोर्ट के विकास के कारण महत्वपूर्ण बचत देखी गई।

इस प्रकार, इन अनुदानों के अंतर्गत हुई बड़ी बचत परिचायक है कि राज्य सरकार ने निधियों की आवश्यकता का ठीक अनुमान किए बिना बजट प्रावधान बनाए थे।

चार्ट-3.4 वर्ष 2021-22 के दौरान बजट आवंटन के प्रति बचत के प्रतिशत के अनुसार अनुदानों/ विनियोगों को वर्गीकृत करता है। इस चार्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष के दौरान 11 अनुदानों में ₹ 4,315.24 करोड़ की बचत हुई।



बचत अपने पास रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है अतः आदर्श रूप से इसे समय पर अभ्यर्पित कर देना चाहिए। अतएव जिन विनियोजनों के अव्ययित रहने की संभावना है, इनके अभ्यर्पण हेतु शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। जैसाकि नमूना-जांचित विभागों से स्पष्ट है (संदर्भ परिच्छेद 3.5.1.1 (च) एवं 3.5.2.1 (ड)), आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरणों को प्रस्तुत करने में सात से 82 दिनों के मध्य का विलंब था। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अन्य व्यय करने वाले विभाग उस निधि से वंचित नहीं रह जाते, जिसका वे उपयोग कर सकते थे तथा इस प्रकार पूरक अनुदानों की परिहार्य मांगों से बचा जा सकता था। अभ्यर्पण आमतौर पर मार्च माह में किए जा रहे हैं तथा किए गए व्यय के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं गत माह के व्यय की प्रगति पर ध्यान देना एक नियंत्रण अधिकारी को उचित सटीकता एवं शुद्धता के साथ अपनी अंतिम आवश्यकताएं तय करने में सक्षम बनाता है।

(ii) निरंतर बचत

विगत पांच वर्षों के दौरान 21 अनुदानों से सम्बंधित 28 ऐसे मामले पाए गए जहां निरंतर बचत देखी गई (विवरण परिशिष्ट-3.4 में दिए गए हैं) जिनमें से सात मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे तालिका-3.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.9: निरंतर बचत के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | अनुदानविनियोजन का नाम/ | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---------------|---------------|----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| राजस्वदत्तमत- | | | | | | | |
| 1 | 08 | शिक्षा | 665.02 | 955.16 | 1,110.61 | 1,362.09 | 1,096.43 |
| 2 | 09 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 211.66 | 330.83 | 377.72 | 489.64 | 243.85 |

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | अनुदानविनियोजन का नाम/ | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 3 | 20 | ग्रामीण विकास | 402.93 | 383.93 | 351.17 | 163.47 | 134.10 |
| 4 | 29 | वित्त | 266.88 | 939.93 | 1,212.96 | 1,202.66 | 708.47 |
| 5 | 31 | जनजातीय विकास | 242.34 | 325.72 | 371.39 | 415.69 | 403.42 |
| 6 | 32 | अनुसूचित जाति उप योजना | 405.83 | 390.87 | 513.37 | 264.69 | 141.50 |
| पूँजीगतदत्तमत- | | | | | | | |
| 7 | 32 | अनुसूचित जाति उप योजना | 132.87 | 154.08 | 231.62 | 149.75 | 390.46 |

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त अनुदानों में पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचत इंगित करती है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे तथा निधियों के आबंटन के दौरान पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। इसे पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था, परन्तु राज्य सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया।

(iii) ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

मार्च माह के दौरान/मार्च की समाप्ति तक प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण के दृष्टांत तालिका-3.10 में दिए गए हैं।

तालिका-3.10: मार्च माह की समाप्ति तक ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | मूल अनुदान | अनुपूरक अनुदान | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत | अभ्यर्पित राशि |
|-------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. | 03 | 251.84 | 27.52 | 279.36 | 250.17 | -29.19 | 15.62 |
| 2. | 07 | 1,618.37 | 20.59 | 1,638.96 | 1,402.68 | -236.27 | 163.35 |
| 3. | 08 | 7,178.83 | 133.54 | 7,312.37 | 6,230.98 | -1,081.40 | 717.67 |
| 4. | 10 | 5,045.32 | 176.47 | 5,221.79 | 3,981.99 | -1,239.79 | 1,028.24 |
| 5. | 11 | 470.22 | 8.83 | 479.05 | 429.89 | -49.16 | 46.26 |
| 6. | 13 | 3,404.77 | 50.14 | 3,454.90 | 3,300.86 | -154.04 | 259.45 |
| 7. | 14 | 409.76 | 5.01 | 414.77 | 378.45 | -36.32 | 29.11 |
| 8. | 16 | 721.71 | 58.87 | 780.57 | 644.83 | -135.75 | 82.54 |
| 9. | 19 | 1,241.99 | 15.34 | 1,257.33 | 1,207.19 | -50.14 | 26.68 |
| 10. | 26 | 695.92 | 24.95 | 720.87 | 176.21 | -544.66 | 622.22 |
| 11. | 28 | 814.66 | 131.62 | 946.28 | 841.20 | -105.08 | 96.00 |
| 12. | 29 | 17,574.43 | 0.00 | 17,574.43 | 15,537.10 | -2,037.33 | 1,727.39 |
| 13. | 31 | 2,238.35 | 0.08 | 2,238.43 | 1,704.85 | -533.58 | 115.34 |
| 14. | 32 | 3,626.07 | 258.50 | 3,884.57 | 3,352.61 | -531.96 | 287.18 |
| योग: | | 45,292.24 | 911.46 | 46,203.68 | 39,439.01 | -6,764.67 | 5,217.05 |

स्रोत: विनियोजन लेखे


जैसाकि तालिका में दिया है, माह मार्च 2022 में 14 मामलों में ₹ 5,217.05 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया (कुल आवंटित बजट का 11.52 प्रतिशत)।

अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों की जांच/संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कुल 32 अनुदानों में से 30 अनुदानों में अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन आदेश मार्च के अंतिम दिन किए गए थे। केवल दो अनुदानों में यह 7 मार्च को किए गए। इस प्रकार वर्ष के अंत में निधियों का अभ्यर्पण व्यय की निम्नस्तरीय निगरानी, कमजोर वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है तथा इसका तात्पर्य है कि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता के द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट-3.5 में दिया गया है।

चार्ट-3.5: उपयोग के प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या का वितरण




- 2021-22 के दौरान अनुदान संख्या 26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन नामक एक अनुदान के तहत उपलब्ध धन का केवल 24 प्रतिशत उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 544.66 करोड़ की बचत हुई।
- छ: अनुदानों में, विशेष रूप से अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास में, जहां प्रयुक्ति 255 प्रतिशत थी, प्रयुक्ति 100 प्रतिशत से अधिक होने के परिणामस्वरूप ₹ 1,112 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, जिसका कारण माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा

अधिग्रहित की गई भूमि के बदले रेणुका जी डैम के विस्थापितों को भूमि के मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के कारण ₹ 1,112 करोड़ का व्यय आधिक्य था।

चार्ट-3.6: वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के पूर्व हुई बचत एवं अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



जैसाकि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अभ्यर्पण आदेशों से देखा गया, सभी अभ्यर्पण (₹ 5,304 करोड़) 31 मार्च 2022 तक किए गए थे। यह निधियों के कमजोर प्रबंधन का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का निम्नतर इष्टतम उपयोग हुआ।

3.3.7 व्यय आधिक्य तथा इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ संबंधित विभागों को वित्त विभाग के माध्यम से लोक लेखा समिति को व्यय आधिक्य हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

3.3.7.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित व्यय आधिक्य

प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से अपेक्षित संस्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर इस को टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय आधिक्य के विवरण तालिका-3.11 दिए गए हैं।

तालिका-3.11: 2021-22 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

| क्र.सं. | अनुदान का नाम | दत्तमत | | प्रभारित | |
|---------|--------------------------------|----------------|--------------|----------|---------|
| | | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| 1. | 05- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन | 4,66,95,61,477 | 20,24,00,000 | 0 | 0 |
| 2. | 06-आबकारी एवं कराधान | 0 | 14,70,829 | 0 | 0 |

| क्र.सं. | अनुदान का नाम | दत्तमत | | प्रभारित | |
|---------|--|------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | राजस्व | पूँजीगत | राजस्व | पूँजीगत |
| 3. | 07- पुलिस एवं संबद्ध संगठन | 0 | 8,47,44,598 | 3 | 0 |
| 4. | 08-शिक्षा | 0 | 15,03,61,271 | 0 | 0 |
| 5. | 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 0 | 18,24,51,519 | 0 | 0 |
| 6. | 12-उद्यान | 24,16,48,889 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 17-चुनाव | 0 | 19,30,00,000 | 0 | 0 |
| 8. | 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 74,66,87,810 | 0 | 0 |
| 9. | 20- ग्रामीण विकास | 0 | 4,84,00,000 | 0 | 0 |
| 10. | 23- विद्युत विकास | 10,36,97,87,955 | 74,91,79,000 | 0 | 0 |
| 11. | 25- सड़क और जल परिवहन | 0 | 13,82,12,643 | 0 | 0 |
| 12. | 27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण | 0 | 3,40,00,000 | 0 | 0 |
| 13. | 28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 14. | 30- विविध सामान्य सेवाएं | 0 | 97,53,080 | 0 | 0 |
| | योग | 15,28,09,98,321 | 2,54,06,60,750 | 3 | 68 |

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है, वर्ष 2021-22 के दौरान 17 मामलों (13 अनुदान एवं दो विनियोजन से सम्बंधित) में बजट प्रावधान से ₹ 1,782.17 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, जिसका राज्य विधायिका से विनियमन अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त में उल्लेखनीय भागीदारी करने वाली योजनाओं के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि से अधिकृत से अधिक संवितरण के विवरण परिशिष्ट-3.5 में दिए गए हैं।

अंतिम बैठक के दौरान वित्त विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के बदले रेणुका जी बांध के विस्थापितों को भुगतान किए गए भूमि के मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के कारण मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2801-80-800-07 के अंतर्गत हुए ₹ 1,037.92 करोड़ के व्यय आधिक्य को जिम्मेदार ठहराया।

3.3.7.2 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कई अनुदानों में वर्ष-दर-वर्ष व्यय आधिक्य देखा गया है। यह निरंतर व्यय आधिक्य परिचायक है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण अप्रभावी था तथा बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर नहीं बनाए गए। बार-बार होने वाले ऐसे व्यय आधिक्य राज्य विधायिका की इच्छा की अवहेलना है। विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना, कठोरता से एक भी रुपया खर्च न किया जा सके,

इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बजट बनाते समय अनुपयुक्त प्राक्कलन बनाने के कारण निरंतर आधिक्य हो सकते हैं।

हालांकि यह देखा गया कि 2017-18 से 2021-22 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी अनुदान में लगातार आधिक्य का कोई मामला नहीं था।

3.3.7.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान 17 अनुदान एवं 11 विनियोजनों के तहत हुआ ₹ 8,818.47 करोड़ का व्यय आधिक्य सितम्बर 2022 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था। आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 2014-21 से संबंधित ₹ 8,818.47 करोड़ के व्यय आधिक्य में से ₹ 7,471.73 करोड़ (84.73 प्रतिशत) का व्यय आधिक्य पांच वर्ष से अधिक की अवधि अर्थात् 2016-17 से पूर्व से संबंधित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 13 अनुदान एवं दो विनियोजनों में ₹ 1,782.17 करोड़ का प्राधिकार से अधिक किया गया व्यय आधिक्य भी विनियमन हेतु अपेक्षित था।

विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे तालिका-3.12 में सारांशित की गई है:

तालिका-3.12: विनियमन हेतु अपेक्षित विगत वर्षों (2014-21) से संबंधित व्यय आधिक्य

| वर्ष | अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या | अनुदान / विनियोजन संख्या | विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में) | विनियमन प्रास्थिति |
|---------|--------------------------------------|--|--|--|
| 2014-15 | 10 अनुदान 6 विनियोजन | 1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) 23 (पूँजीगत) एवं 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत), 31 | 15,85,69,18,458 | अंतिम बैठक के दौरान विभाग ने बताया कि हिमाचल |
| 2015-16 | 7 अनुदान 4 विनियोजन | 5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 (राजस्व) एवं 13, 16, 29 (राजस्व) 29 (पूँजीगत) | 28,48,43,38,113 | प्रदेश विधानसभा को जापन भेजा गया था |
| 2016-17 | 5 अनुदान 3 विनियोजन | 2, 13 (राजस्व) 3, 10, 23 (पूँजीगत) एवं 1, 16 (राजस्व) 29 (पूँजीगत) | 30,37,60,82,471 | परन्तु लोक लेखा समिति द्वारा |
| 2017-18 | 2 अनुदान 1 विनियोजन | 5, 10 (राजस्व) एवं 10 (पूँजीगत) | 3,86,76,41,211 | आधिक्य विनियमित करना शेष था। |
| 2018-19 | 6 अनुदान 5 विनियोजन | 05, 13, 22 (राजस्व), 03, 10, 12 (पूँजीगत) एवं 07, 20, 25 (राजस्व), 10, 29 (पूँजीगत) | 8,21,37,16,840 | प्रक्रियाधीन |

| वर्ष | अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या | अनुदान / विनियोजन संख्या | विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में) | विनियमन प्रास्थिति |
|---------|--------------------------------------|--|--|--------------------|
| 2019-20 | 4 अनुदान 3 विनियोजन | 22 (राजस्व), 13, 21, 28 (पूँजीगत) एवं 05 (राजस्व), 13, 29 (पूँजीगत) | 49,91,20,218 | |
| 2020-21 | 3 अनुदान 2 विनियोजन | 28 (राजस्व), 10, 25 (पूँजीगत) 13 (राजस्व), 31 (पूँजीगत) | 88,69,12,706 | |
| योग | | | 88,18,47,30,017 | |

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों के अतिरिक्त, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को संवितरित सहायता-अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाएं, भले ही सहायता-अनुदान के रूप में संवितरित निधि अनुदेयी ने जिस भी उद्देश्य से खर्च की हो।

2021-22 के दौरान पूँजीगत सम्पत्ति हेतु सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 833.26 करोड़ की राशि प्रदान की गई तथा भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुपालन में लेखाओं में राजस्व व्यय के अंतर्गत बुक की गई।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर

2021-22 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-3.13 में दी गई है।

तालिका-3.13: 2021-22 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

| | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/ विनियोजन | अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)/ बचत (-) | मार्च में अभ्यर्पण | |
|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | राशि | कुल प्रावधान के संदर्भ में प्रतिशत |
| दत्तमत | I. राजस्व | 36,628.99 | 1,118.70 | 37,747.69 | 34,570.20 | -3,177.49 | 3,175.80 | 8.41 |
| | II. पूँजीगत | 6,071.33 | 1,092.46 | 7,163.79 | 6,071.76 | -1,092.03 | 924.95 | 12.91 |
| | III. ऋण तथा अग्रिम | 353.87 | 4.83 | 358.70 | 377.97 | 19.27 | 43.05 | 12.00 |
| | कुल | 43,054.19 | 2,215.99 | 45,270.18 | 41,019.93 | -4,250.25 | 4,143.80 | 9.15 |

| | व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/ विनियोजन | अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)/ बचत (-) | मार्च में अभ्यर्षण | |
|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | राशि | कुल प्रावधान के संदर्भ में प्रतिशत |
| प्रभारित | I. राजस्व | 5,097.08 | 8.18 | 5,105.26 | 4,716.55 | -388.71 | 214.05 | 4.19 |
| | II. पूंजीगत | 0.00 | 5.77 | 5.77 | 5.60 | -0.17 | 0 | 0 |
| | III. लोक ऋण अदायगी | 5,333.51 | 0 | 5,333.51 | 4,387.28 | -946.23 | 946.41 | 17.74 |
| | कुल | 10,430.59 | 13.95 | 10,444.54 | 9,109.43 | -1,335.11 | 1,160.46 | 11.11 |
| | सकल योग | 53,484.78 | 2,229.94 | 55,714.72 | 50,129.36 | -5,585.36 | 5,304.26 | 9.52 |

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 30 अनुदानों तथा नौ विनियोजनों में हुई ₹ 7,367.53 करोड़ की बचत के शुद्ध परिणाम के रूप में ₹ 5,585.36 करोड़ की समग्र बचत हुई थी, जो 13 अनुदान एवं दो विनियोजनों में हुए ₹ 1,782.17 करोड़ के आधिक्य से समायोजित हुई।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.14 में दिया गया है।

तालिका-3.14: 2017-22 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)


| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| मूल बजट | 37,940 | 43,842 | 46,971 | 52,472 | 53,485 |
| अनुपूरक बजट | 3,327 | 3,143 | 6,737 | 9,125 | 2,230 |
| कुल (मूल + अनुपूरक) | 41,267 | 46,985 | 53,708 | 61,597 | 55,715 |
| संशोधित अनुमान | 38,995 | 43,625 | 49,688 | 53,460 | 48,834 |
| वास्तविक व्यय | 37,811 | 42,469 | 45,528 | 53,139 | 50,129 |
| बचत (-)/ आधिक्य (+) | -3,456 | -4,516 | -8,180 | -8,458 | -5,585 |
| कुल बजट से बचत (-)/ आधिक्य (+) का प्रतिशत | -8.37 | -9.61 | -15.23 | -13.73 | -10.02 |

स्रोत: विनियोजन लेखे तथा संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2017-21 के दौरान बचत में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जबकि विगत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान बचत में कमी हुई। बचत की बड़ी राशि बजटीय परिव्यय का निम्नतर-इष्टतम उपयोग किए जाने के साथ-साथ अकुशल बजटीय प्रक्रियाओं का होना परिलक्षित करता है।

बजट आबंटन (मूल व अनुपूरक) की प्रवृत्ति एवं उसके प्रति हुए उपयोग को चार्ट-3.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट-3.7: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट उपयोग



स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है 2017-18 से 2019-20 के दौरान कुल आबंटन के प्रति बजट उपयोग के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जबकि 2020-22 की अवधि के दौरान इसमें बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

3.4.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी-कभी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परन्तु अंत में वे न तो संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके किसी हिस्से को खर्च कर पाता है एवं न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। जबकि उसी दौरान अन्य योजनाएं निधियों की आवश्यकता के कारण अधूरी रह जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बड़े पैमाने पर जनता अभीष्ट लाभों से वंचित रह जाती है अपितु परियोजना लागत में भी वृद्धि होती है।

‘पूँजीगत- दत्तमत’ प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका-3.15 में नीचे दिया गया है:

तालिका-3.15: ‘पूँजीगत-दत्तमत’ प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | मूल आबंटन | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय | अप्रयुक्त निधियां |
|----------------|--|-----------|---------|----------|---------------|-------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| पूँजीगतदत्तमत- | | | | | | |
| 1. | 01- विधान सभा | 3.05 | 0.09 | 3.14 | 2.19 | 0.95 |
| 2. | 10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन | 1,311.97 | 176.26 | 1,488.23 | 1,442.91 | 45.33 |

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | मूल आबंटन | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय | अप्रयुक्त निधियां |
|----------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3. | 13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता | 755.24 | 49.89 | 805.13 | 731.67 | 73.46 |
| 4. | 16- वन एवं वन्यजीव | 11.30 | 0.26 | 11.56 | 10.20 | 1.36 |
| 5. | 28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास | 181.82 | 2.24 | 184.06 | 85.02 | 99.04 |
| 6. | 32- अनुसूचित जाति उप योजना | 1,600.60 | 205.31 | 1,805.91 | 1,415.45 | 390.46 |
| | योग: | 3,863.98 | 434.05 | 4,298.03 | 3,687.44 | 610.60 |

स्रोत: विनियोजन लेखे

वर्ष के दौरान निधियों के अभाव में पूर्ण नहीं की जा सकी योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार से सूचना की अनुपलब्धता के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या 'पूँजीगत दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत ₹ 610.60 करोड़ की बचत का उपयोग उन योजनाओं/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता था जो धन के अभाव के कारण अधूरी रह गई थीं।

3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय

सरकार बजट भाषण एवं अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है, जो या तो उस विशेष वित्तीय वर्ष (एक बार की गतिविधि) या बाद के वित्तीय वर्षों (आवर्ती प्रकृति के) के लिए होती हैं।

2021-22 के दौरान बजट की कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं उसके प्रति हुआ वास्तविक व्यय तालिका-3.16 में दिया गया है।

तालिका-3.16: 2021-22 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना के नाम | अनुदान संख्या | वर्गीकरण | बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|---------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1. | जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से सहायता प्राप्त फसल विविधीकरण परियोजना फेज II (जेआईसीए) | 31 | 2401-00-796-64 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 2 | प्राकृतिक खेत खुश-हाल किसान | 11 | 2401-00-105-12 | 17.62 | 19.74 | 2.12 |
| 3 | | 31 | 2401-00-796-55 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 4 | | 32 | 2401-00-789-45 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 5 | हिमाचल गृहणी सुविधा योजना | 22 | 2408-01-800-02 | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| 6 | | 31 | 2408-01-796-10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 7 | | 32 | 2408-01-789-05 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 8 | स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान | 12 | 2401-00-119-82 | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 9 | कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल | 31 | 2401-00-796-67 | 0.90 | 0.23 | -0.67 |
| 10 | नेट स्ट्रक्चर) | 32 | 2401-00-789-65 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |

| क्र.सं. | योजना के नाम | अनुदान संख्या | वर्गीकरण | बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 11 | मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना | 31 | 2501-06-796-10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 12 | | 32 | 2501-06-789-12 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 13 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | 32 | 2515-00-789-13 | 0.46 | 15.48 | 15.02 |
| 14 | शीर्ष 100 छात्रवृत्ति योजना | 08 | 2202-01-109-03 | 2.00 | 0.70 | -1.30 |
| 15 | मेधा प्रोत्साहन योजना | 08 | 2202-02-109-27 | 3.29 | 1.97 | -1.32 |
| 16 | | 31 | 2202-02-796-30 | 0.45 | 0.30 | -0.15 |
| 17 | | 32 | 2202-02-789-30 | 1.26 | 0.71 | -0.55 |
| 18 | श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना | 08 | 2202-02-109-15 | 0.00 | 16.84 | 16.84 |
| 19 | | 31 | 2202-02-796-13 | 2.25 | 5.29 | 3.04 |
| 20 | | 32 | 2202-02-789-12 | 6.30 | 10.83 | 4.53 |
| 21 | हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिमकेयर) | 31 | 2210-06-796-17 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 22 | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना | 31 | 2851-00-796-30 | 7.20 | 3.04 | -4.16 |
| 23 | | 32 | 2851-00-789-36 | 20.15 | 11.72 | -8.43 |
| 24 | सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण-आत्म निर्भर भारत | 32 | 2851-00-789-35 | 0.68 | 0.62 | -0.06 |
| 25 | | 32 | 2851-00-789-35 | 0.08 | 0.00 | -0.08 |
| 26 | मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना | 31 | 4202-03-796-04 | 0.45 | 0.30 | -0.15 |
| योग | | | | 102.83 | 122.53 | 19.70 |

स्त्रोत: बजट भाषण तथा विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से प्रमाणित है, वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त योजनाओं हेतु कुल ₹ 102.83 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 122.53 करोड़ का व्यय किया गया जो बजट प्रावधान से अधिक ₹ 19.70 करोड़ के व्यय आधिक्य में परिणत हुआ। दूसरी ओर दो मामलों/योजनाओं (क्रम संख्या 8 व 25) में कोई व्यय नहीं हुआ, जिससे लाभार्थी अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

3.4.4 योजनाओं हेतु प्रदत्त बजट की तुलना में व्यय

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहल, योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों पर मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता के चलते कार्य प्रारम्भ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि के कारण या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे। ऐसी योजनाओं में हुई बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित रहे, जिनका समुचित उपयोग किया जा सकता था।

2021-22 के दौरान ऐसी 80 योजनाएं थीं जिनमें बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ अथवा जहां संपूर्ण बजट प्रावधान शून्य कर दिया गया (विवरण परिशिष्ट-3.6 में दिया गया है)। इनमें से 10 योजनाएं ऐसी थीं (प्रत्येक

मामले में ₹ पांच करोड़ व उससे अधिक) जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया था परन्तु वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया जैसाकि तालिका-3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.17: उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत परिव्यय | टिप्पणी |
|----------|------------------------------------|---|-----------------|---|
| 1. | 08- शिक्षा | अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 5.00 | वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया। इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय में कमी हेतु कोई कारण सूचित नहीं किया गया। |
| 2. | 13- सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता | प्रधानमंत्री कृषि के तहत विभिन्न जिलों में प्रवाह सिंचाई योजना का विचलन | 32.21 | |
| 3. | 29- वित्त | 1.11.1966 से पहले भुगतान | 9.81 | |
| 4. | 31- जनजातीय विकास | हवाई अड्डों एवं हेलीपोर्ट का विकास | 81.50 | |
| 5. | | मौजूदा सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला तथा अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/ अनुरक्षण | 12.60 | |
| 6. | | प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-हर खेत को पानी | 7.01 | |
| 7. | 23- विद्युत विकास | हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन को परियोजनाओं हेतु ऋण | 21.01 | |
| 8. | | | 19.65 | |
| 9. | 32- अनुसूचित जाति उप योजना | पुरानी जल आपूर्ति योजनाओं की रीमांडलिग/नवीकरण | 5.03 | |
| 10. | | विश्व बैंक से सहायता प्राप्त से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली | 9.07 | |

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

आगे यह भी पाया गया कि 80 योजनाएं ऐसी थीं, जहां ₹ एक करोड़ व अधिक का बजट प्रावधान किया गया था, परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया, ऐसी 22 योजनाएं थीं जिनमें संपूर्ण बजट प्रावधान (₹ पांच करोड़ व उससे अधिक) या तो पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया या संशोधित परिव्यय द्वारा अभ्यर्पण कर दिया गया। इन 22 योजनाओं का विवरण तालिका-3.18 में दिया गया है:

तालिका-3.18: उन योजनाओं का विवरण जहां सम्पूर्ण बजट प्रावधान घटाकर शून्य कर दिया गया

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजनाओं का नाम | कुल प्रावधान | पुनर्विनियो जन | अभ्यर्पण | संशोधित परिव्यय |
|---------|---|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 1. | क्षतिपूरक वनीकरण (वन विभाग के शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत एवं भुगतान) | 5.04 | -5.04 | 0 | 0 |
| 2. | केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण | 9.90 | -9.90 | 0 | 0 |
| 3. | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना | 5.06 | -5.06 | 0 | 0 |
| 4. | हवाई अड्डों/ हेलीपोर्टों का विकास | 278.65 | -13.62 | -265.03 | 0 |
| 5. | अवसंरचना सुविधाओं पर व्यय | 13.75 | -6.52 | -7.23 | 0 |

| क्र.सं. | योजनाओं का नाम | कुल प्रावधान | पुनर्विनियो जन | अभ्यर्पण | संशोधित परिच्यय |
|---------|--|--------------|----------------|----------|-----------------|
| 6. | सरकारी आवासीय भवन | 21.00 | -21.00 | 0 | 0 |
| 7. | संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान | 14.92 | 0 | -14.92 | 0 |
| 8. | जनजातीय क्षेत्रों हेतु हेलीकाप्टर सुविधा | 8.00 | -2.67 | -5.32 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन को परियोजनाओं हेतु ऋण | 37.34 | 0 | -37.34 | 0 |
| 10. | राष्ट्रीय रूबन मिशन | 6.12 | -6.12 | 0 | 0 |
| 11. | वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी | 57.61 | -57.55 | 0 | 0 |
| 12. | अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 34.28 | -34.28 | 0 | 0 |
| 13. | छात्रवृत्ति | 12.15 | -12.15 | 0 | 0 |
| 14. | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना | 5.30 | 0 | -5.30 | 0 |
| 15. | अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 6.05 | -6.05 | 0 | 0 |
| 16. | पौध संरक्षण उपकरण की खरीद | 12.93 | 0 | -12.93 | 0 |
| 17. | पुरानी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) की रीमॉडलिंग/ नवीकरण | 13.16 | -13.16 | 0 | 0 |
| 18. | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन | 15.99 | -15.99 | 0 | 0 |
| 19. | कृषि मशीनीकरण पर सह-मिशन | 13.35 | 0 | -13.35 | 0 |
| 20. | | 6.46 | 0 | -6.46 | 0 |
| 21. | स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क रखरखाव | 10.00 | -10.00 | 0 | 0 |
| 22. | स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान | 5.00 | -5.00 | 0 | 0 |

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

संस्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना दर्शाता है कि राज्य सरकार के विभागों ने ऐसी योजनाओं को शुरू करने के लिए या तो पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी या उनके पास कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी। घटिया योजना कार्यान्वयन क्षमताएं विभागों की बैंक खातों में सरकारी खाते के बाहर नकद शेष राशि को बनाए रखने की या निधियों को वर्ष के अंत में अभ्यर्पण करने की प्रवृत्ति बढ़ाती है, जिससे अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रहे जिनका उपयोग किया जा सकता था।

3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन तथा अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न अस्थाई नकदी संकट को टालता है।


अंतिम तिमाही (50 प्रतिशत व 71 प्रतिशत के मध्य) एवं मार्च 2022 (12 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के मध्य) के दौरान पर्याप्त व्यय होने वाले अनुदानों के विवरण तालिका-3.19 में दिए गए:

तालिका-3.19: अनुदान जहां अंतिम तिमाही में पर्याप्त व्यय किया गया

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | कुल व्यय (₹ करोड़ में) | अंतिम तिमाही में हुआ व्यय | | मार्च में हुआ व्यय | |
|----------|---|------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | ₹ करोड़ में | प्रतिशत में | ₹ करोड़ में | प्रतिशत में |
| 1. | 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी | 268.97 | 160.36 | 59.62 | 139.94 | 52.03 |
| 2. | 22- खाद्य और नागरिक आपूर्ति | 282.58 | 151.82 | 53.73 | 43.21 | 15.29 |
| 3. | 23- विद्युत विकास | 1,830.97 | 1,298.99 | 70.95 | 1186.35 | 64.79 |
| 5. | 28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास | 841.20 | 459.66 | 54.64 | 103.47 | 12.30 |
| 6. | 30- विविध सामान्य सेवाएं | 149.96 | 75.01 | 50.02 | 39.40 | 26.28 |

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय का माह-वार विवरण चार्ट-3.8 में दिया गया है।

चार्ट-3.8: वर्ष 2021-22 के दौरान हुई मासिक प्राप्तियां एवं व्यय



स्त्रोत: मासिक सिविल लेखे

अंतिम तिमाही, मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2021-22 हेतु दो अनुदान अर्थात् अनुदान संख्या 8 - 'शिक्षा' एवं अनुदान संख्या 13 - 'जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा से निम्नलिखित उजागर हुआ:

3.5.1 अनुदान संख्या 8 - शिक्षा

यह अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला व संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति के लिए ऋण शामिल है।

3.5.1.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 2021-22 हेतु राजस्व एवं पूंजीगत प्रभागों के अंतर्गत आबंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति नीचे तालिका-3.20 में दी गई है।

तालिका-3.20: बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्य/बचत

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रभाग | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | कुल अनुदान | किया गया व्यय | आधिक्य (+)/ बचत (-) |
|---------|------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 2019-20 | राजस्व | 6,641.11 | 0.30 | 6,641.41 | 5,530.35 | -1,111.06 |
| | पूंजीगत | 96.85 | 10.40 | 107.25 | 77.02 | -30.23 |
| | योग | 6,737.96 | 10.70 | 6,748.66 | 5,607.37 | -1,141.29 (16.91) |
| 2020-21 | राजस्व | 7,068.14 | 0.73 | 7068.87 | 5,706.77 | -1,362.10 |
| | पूंजीगत | 111.50 | 18.96 | 130.46 | 130.44 | -0.02 |
| | योग | 7,179.64 | 19.69 | 7,199.33 | 5,837.21 | -1,362.12 (18.92) |
| 2021-22 | राजस्व | 7,087.45 | 0.10 | 7,087.55 | 5,991.12 | -1,096.43 |
| | पूंजीगत | 91.38 | 133.44 | 224.82 | 239.85 | 15.03 |
| | योग | 7,178.83 | 133.54 | 7,312.37 | 6,230.97 | -1,081.40 (14.79) |

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2019-22 के दौरान इस अनुदान के तहत राजस्व एवं पूंजीगत दोनों प्रभागों में लगातार बचत हुई। 2019-22 के दौरान बचत/अप्रयुक्त बजट प्रावधान 14 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के मध्य रहा। 2021-22 के दौरान इस अनुदान हेतु मूल आवंटन (₹ 7,178.83 करोड़) कुल बजट प्रावधान (₹ 55,715 करोड़) का 13 प्रतिशत था। ₹ 7,312.37 करोड़ के कुल उपलब्ध बजट प्रावधान (मूल+पूरक) में से ₹ 1,081.40 करोड़ (14.79 प्रतिशत) खर्च नहीं किए जा सके, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

(क) अप्रयुक्त रहे सम्पूर्ण प्रावधान

इस अनुदान से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि ऐसे 11 लेखा शीर्ष थे (जैसाकि परिशिष्ट 3.7 में वर्णित है), जहां कोई व्यय नहीं किया गया तथा ₹ 8.19 करोड़ के सम्पूर्ण बजट प्रावधान को संशोधित परिव्यय में पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया था।

इसके अतिरिक्त 2021-22 के दौरान दो मामलों/योजनाओं में ₹ 7.45 करोड़ का संपूर्ण बजट आवंटन अप्रयुक्त रहा, जो योजनाओं के अकार्यान्वयन को दर्शाता है जैसाकि नीचे तालिका 3.21 में दर्शाया गया है:

तालिका: 3.21: अप्रयुक्त सम्पूर्ण प्रावधान

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मुख्य लेखा शीर्ष | संस्वीकृत बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | संशोधित बजट | व्यय |
|----------|---|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|
| 1. | 2202-80-107-08 C00N (अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) | 5.00 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
| 2. | 2202-80-107-20 C00N (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामान्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति) | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 |
| | योग: | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 |

(ख) बजट प्रावधान से अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के अनुसार, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरूप पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदान/विनियोग से ज्यादा हुए आधिक्य को राज्य विधायिका द्वारा नियमित कराना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभाग ने पूंजीगत शीर्ष अर्थात् 4202-01-203-01 S00N (महाविद्यालय भवन) के अंतर्गत ₹ 15.75 करोड़ के बजट प्रावधान से अधिक व्यय किया। संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि विभाग को वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 42.49 करोड़ के मूल अनुदान के अतिरिक्त ₹ 66.50 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्राप्त हुआ। ₹ 108.99 करोड़ के कुल उपलब्ध अनुदान के प्रति विभाग ने ₹ 124.74 करोड़ खर्च किए जो कुल बजट प्रावधान से अधिक ₹ 15.75 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ। यह इंगित करता है कि विभाग ने अवास्तविक बजट प्रावधान बनाए जो बजट बनाने की प्रक्रिया को कमजोर कर व्यय को नियंत्रण करते हैं।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि सलाहकार योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹ 15.75 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया था (मार्च 2022) परन्तु यह वित्त विभाग के पुनर्विनियोजन आदेश में परिलक्षित नहीं हुआ तथा इसलिए बजट से अधिक व्यय नहीं हुआ। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन के पूर्व वित्त विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।

(ग) अवास्तविक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है।

इस अनुदान से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान 43 ऐसे मामले थे जिनमें पुनर्विनियोजन अवास्तविक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ, जिसके विवरण परिशिष्ट-3.8 में दर्शाए गए हैं। तालिका-3.22 अवास्तविक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के कुछ प्रमुख दृष्टांतों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 3.22: अवास्तविक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग | योजना/ कार्यक्रम | मुख्य लेखा शीर्ष | संस्वीकृत बजट | पुनर्विनियोजन | संशोधित बजट | व्यय | बजट |
|----------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------|
| 1. | प्राथमिक | निदेशालय | 2202-01-001-01-SOON | 26.22 | -8.47 | 17.75 | 14.37 | -3.38 |
| 2. | शिक्षा | मध्य विद्यालयों पर व्यय | 2202-01-101-03-SOON | 1,421.80 | -188.46 | 1,233.34 | 1,229.00 | -4.34 |
| 3. | | स्टार प्रोजेक्ट | 2202-01-113-01-C90N | 0.01 | 49.69 | 49.70 | 33.26 | -16.44 |
| 4. | | मध्यांतर भोजन | 2202-01-800-01-C90N | 63.38 | -3.10 | 60.38 | 48.59 | -11.79 |
| 5. | उच्चतर शिक्षा | माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय | 2202-02-109-01 SOON | 2,486.67 | -98.89 | 2,387.78 | 2,183.29 | -204.49 |
| 6. | | सरकारी महाविद्यालयों पर व्यय | 2202-03-103-01 SOON | 358.49 | -16.33 | 342.16 | 300.64 | -41.52 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पांच मामलों में (क्रम संख्या 3 को छोड़कर), पुनर्विनियोजन द्वारा बजट प्रावधान को कम करने के बाद भी वास्तविक व्यय संशोधित बजट प्रावधानों के स्तर तक नहीं था तथा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहा। दूसरी ओर एक मामले (क्रम संख्या 3) के तहत पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवंटित बजट/ निधि भी अप्रयुक्त रही। इस प्रकार मूल अनुदान में और फिर आगे पुनर्विनियोजन के माध्यम से किए गए निधियों के अवास्तविक प्रावधान बचत में परिणत हुए जो न केवल बजट अनुमान बनाने एवं पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियों की मांग में लापरवाह दृष्टिकोण को इंगित करता है अपितु स्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग नहीं करने को भी दर्शाता है।

तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि के पश्चात् विभाग ने बताया कि स्वीकृत पदों के प्रति संविदा एवं एसएमसी कर्मचारियों की नियुक्ति न होने, नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं रिक्त पदों आदि के कारण बचत हुई। बचत के अन्य कारणों में भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना, एमडीएम योजना के तहत कर्मचारियों का घटना तथा प्रवासी छात्रों के बैंक खाता संख्या

की अनुपलब्धता के कारण सिलाई शुल्क का उपयोग न होना/ निजी स्कूलों में छात्रों का पलायन आदि शामिल थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी तथ्यों व मान्यताओं को निधियों के पुनर्विनियोजन/ पुनः आवंटन के समय संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। राज्य सरकार/ विभाग की यह प्रक्रिया अवास्तविक/अकुशल बजटीकरण को परिलक्षित करती है।

(घ) मूल प्रावधानों के अभाव में अनधिकृत अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोजन

मूल प्राधिकृत अनुदान अथवा विनियोजन के अतिरिक्त किए गए अनुदान अनुपूरक अनुदान या विनियोजन होते हैं। किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है।

शिक्षा विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि दो लेखा शीर्षों में बजट के मूल प्रावधान के अभाव में विभाग ने बजट निर्माण एवं व्यय नियंत्रण की प्रक्रिया को कमज़ोर करते हुए ₹ 429.16 लाख की राशि अनुपूरक अनुदान व पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवंटित की। पुनर्विनियोजन/अनुपूरक अनुदान के बावजूद विभाग अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि ₹ 0.31 लाख अप्रयुक्त रह गए। अनधिकृत अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोजन का विवरण नीचे तालिका 3.23 में दिया गया है।

तालिका-3.23: मूल बजट के अभाव में अनुपूरक अनुदान, पुनर्विनियोग एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम | मुख्य लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | संशोधित बजट | व्यय | बचत/ आधिक्य |
|------------|--|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | अन्य पिछड़ा वर्ग को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 2202-80-107-09 S50N | 0 | 0 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 0 |
| 2 | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | 2202-03-103-07 S00N | 0 | 0.04 | 16.12 | 16.16 | 15.85 | -0.31 |
| योग | | | 0 | 0.04 | 429.12 | 429.16 | 428.85 | -0.31 |

तथ्यों की पुष्टि करते हुए विभाग ने बताया कि विगत वर्ष की देयताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग किया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब विभाग को विगत वर्ष की देयताओं के विषय में, विशेष रूप से उपरोक्त चलायमान योजनाओं के संबंध में पता था, तो उसे इसका संज्ञान लेना चाहिए था तथा मूल बजट में ही प्रावधान करना चाहिए था। यहां तक कि अधिक पुनर्विनियोजन/अनुपूरक अनुदान भी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

(ड) व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए।

शिक्षा विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि **परिशिष्ट 3.9** में दिए गए 14 लेखा शीर्षों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक 2022 के मार्च माह में व्यय किया गया। यह पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों के विपरीत है। मार्च 2022 के दौरान दो मुख्य शीर्षों (2202 व 4202) के अंतर्गत 14 लेखा शीर्षों में से 10 लेखा शीर्षों (**परिशिष्ट 3.9** की क्रम संख्या 1 से 8, 12 व 13) में अत्यधिक व्यय (80 प्रतिशत व 100 प्रतिशत के मध्य) किया गया था।

वर्ष के अंत में व्यय तीव्र प्रवाह निष्फल, व्यर्थ या गलत नियोजित व्यय का कारण बन सकता है। विभाग यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए यथासंभव निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरे वर्ष एकसमान रूप से निधियां खर्च की जाती हैं।

तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि के उपरांत विभाग ने बताया कि निधियों की प्राप्ति में विलम्ब, तकनीकी समिति द्वारा खरीदी जाने वाली मर्चों हेतु विनिर्देशन को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृतियां देने में विलम्ब के कारण मार्च में व्यय करना पड़ा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को इन सभी मुद्दों का संज्ञान लेना चाहिए था तथा वर्ष के दौरान व्यय की स्थिर गति बनाए रखनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए तिमाही-वार मानदंड निर्धारित करने चाहिए।

(च) आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण का विवरण क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी निर्देशानुसार (अगस्त 2021) आधिक्य तथा अभ्यर्पण के प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम विवरण प्रत्येक वर्ष क्रमशः 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एवं 15 मार्च तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने अपेक्षित थे।

शिक्षा विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आधिक्य व अभ्यर्पण के विवरण वित्त विभाग को विलम्ब से प्रस्तुत किए गए थे। विवरण प्रस्तुत करने में 15 से 82 दिनों के मध्य का विलंब था। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया जो 2019-22 के दौरान इस अनुदान के तहत राजस्व एवं पूंजीगत दोनों प्रभागों में सतत बचत में भागीदारी करने वाले

कारक हो सकते (देखें परिच्छेद 3.5.1.1) हैं। आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने की तिथियों का विवरण नीचे तालिका-3.24 में दिया गया है।

तालिका-3.24: आधिक्य व अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने का ब्यौरा

| विवरण | देय तिथि | प्रस्तुति की तिथि | विलम्ब (दिनों में) |
|------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| प्राथमिक शिक्षा | | | |
| आधिक्य एवं अभ्यर्पण का प्रथम विवरण | 31-10-2021 | 16-11-2021 | 16 |
| उच्च शिक्षा | | | |
| आधिक्य एवं अभ्यर्पण का प्रथम विवरण | 31-10-2021 | 21-01-2022 | 82 |
| आधिक्य एवं अभ्यर्पण का अंतिम विवरण | 15-03-2022 | 30-03-2022 | 15 |

इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा विभाग ने बताया कि कार्य की अधिकता के कारण आधिक्य एवं अभ्यर्पण का प्रथम विवरण सरकार को समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा भविष्य में विवरण का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रत्युत्तर में उच्च शिक्षा विभाग ने बताया पहली बार 16 मार्च 2022 को विवरण प्रस्तुत किया गया, परन्तु विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण संशोधित विवरण 30 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि तथ्य यह है कि विभाग ने आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने में निर्धारित समयावधि का अनुपालन नहीं किया।

3.5.2 अनुदान संख्या 13 - जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग)

यह अनुदान जल शक्ति विभाग (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग) द्वारा प्रशासित होता है तथा मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, 2216-आवास, 2700-वृहद सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी, 4215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, 4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय) शामिल है।

3.5.2.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान की राजस्व एवं पूंजीगत प्रभागों के अंतर्गत आबंटित निधियों, किए गए व्यय एवं बचत/ आधिक्य की समग्र प्रास्थिति तालिका 3.25 में दी गई है:

तालिका-3.25: आबंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रभाग | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | कुल अनुदान | व्यय किया | आधिक्य (+)/ बचत (-) |
|---------|---------|--------------|------------------|------------|-----------|---------------------|
| 2019-20 | राजस्व | 2,586.54 | 0.22 | 2,586.76 | 2,358.76 | -228.00 |
| | पूंजीगत | 709.05 | 186.92 | 895.97 | 944.28 | 48.31 |
| | योग | 3,295.59 | 187.14 | 3,482.73 | 3,303.04 | -179.69 (5.16) |

| वर्ष | प्रभाग | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | कुल अनुदान | व्यय किया | आधिक्य (+)/ बचत (-) |
|---------|------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 2020-21 | राजस्व | 3,808.98 | 0.09 | 3,809.07 | 1,439.22 | -2,369.85 |
| | पूँजीगत | 951.48 | 2.95 | 954.43 | 922.80 | -31.63 |
| | योग | 4,760.46 | 3.04 | 4,763.50 | 2,362.02 | -2,401.48 (50.41) |
| 2021-22 | राजस्व | 2,649.53 | 0 | 2,649.53 | 2,569.12 | -80.41 |
| | पूँजीगत | 755.24 | 50.14 | 805.38 | 731.75 | -73.63 |
| | योग | 3,404.77 | 50.14 | 3,454.91 | 3,300.87 | -154.04 (4.46) |

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2019-22 के दौरान इस अनुदान के तहत लगातार बचत हुई। 2019-22 के दौरान बचत/अप्रयुक्त बजट प्रावधान चार प्रतिशत के एवं उच्चतम 50 प्रतिशत के मध्य रहा। 2021-22 के दौरान इस अनुदान हेतु मूल बजट आवंटन (₹ 3,454.91 करोड़) कुल बजट (₹ 55,715 करोड़) का छः प्रतिशत था। ₹ 3,454.91 करोड़ के कुल उपलब्ध बजट प्रावधान में से ₹ 3,300.87 करोड़ व्ययित हुए एवं ₹ 154.04 करोड़ खर्च नहीं किए जा सके, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्न बिन्दु प्रकट हुए:

(क) बचत

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 31(4) में प्रावधान है योजनागत एवं आयोजनेत्तर दोनों व्यय के संशोधित अनुमान एवं आयोजनेत्तर व्यय हेतु बजट अनुमान संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जांचे जाने एवं अनुमोदित किए जाने के पश्चात वित्त विभाग को निर्धारित तरीके व प्रपत्र में अग्रेषित किए जाएं। इसी भांति नियम 41 में भी निर्धारित है कि विभागाध्यक्ष अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से उनके द्वारा नियंत्रित विनियोजन अनुदान में देखी गई सभी प्रत्याशित बचत को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग को सौंप देंगे।

इस अनुदान (जल शक्ति विभाग) से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि -

- 2021-22 के दौरान 56 मामलों में से (परिशिष्ट 3.10 में दिए गए) 33 मामलों में प्रत्येक में ₹ 10 लाख या उससे अधिक की बचत हुई।
- वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर 56 मामलों में ₹ 2,729.85 करोड़ के कुल अनुदान में से ₹ 542.86 करोड़ (20 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे।

यह इंगित करता है कि विभाग ने या तो अवास्तविक बजट प्रावधान किए या निर्धारित प्रक्रिया/नियम के अनुसार राशि का संवितरण/अभ्यर्पण नहीं किया जिससे वे अन्य शीर्ष जहाँ इन निधियों का उपयोग किया जा सकता था, वंचित रह गए।

तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि के पश्चात विभाग ने बताया कि बचत उचंत/स्टॉक/विनिर्माण/विविध अग्रिम, वसूलियों का समायोजन, विभिन्न योजनाएं, इत्यादि से संबंधित है। कोविड-19 महामारी के कारण विभाग में कार्य पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं किए जा सके, इसलिए लेखा शीर्षों के अंतर्गत निधियों का समायोजन नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे बताया कि रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण वेतन से संबंधित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। बकाया की घोषणा/ केन्द्रीय रिलीज (केंद्र के जारी निधि) आदि की अपेक्षा में सभी बचत अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बचत के साथ-साथ जिन प्रावधानों का उपयोग नहीं किया सका, उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही और जब भी अपेक्षित हो, तुरंत सरकार को सौंप दिया जाए। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 41(2) के अनुसार भविष्य में होने वाले आधिक्य के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं रखी जाए।

(ख) अवास्तविक बजट अनुमान बनाना/ निरूपित करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 28 (3) के अनुसार समस्त विभाग बजट अनुमान तैयार करने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(i) विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 43 लेखा शीर्ष (जैसाकि परिशिष्ट 3.11 में विवर्णित है) में कोई व्यय नहीं किया गया एवं ₹ 18.30 करोड़ के समग्र बजट प्रावधान को संशोधित परिव्यय में पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया था। पुनर्विनियोजन के माध्यम से समग्र बजट प्रावधान को घटाकर शून्य कर देने के कुछ दृष्टांत नीचे तालिका-3.26 में दिए गए हैं:

तालिका-3.26: उन मामलों/योजनाओं का विवरण जहां कुल स्वीकृत बजट के पुनर्विनियोजन द्वारा संपूर्ण बजट प्रावधान को घटाकर शून्य कर दिया गया

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | व्यय |
|---------------------|--|---------|----------------|---------------|------|
| राजस्व शीर्ष | | | | | |
| 1. | 2701-15-799-01-S00N-79-उचंत | 28.30 | 0 | -28.30 | 0 |
| 2. | 2701-16-799-01-S00N-79-उचंत | 120.29 | 0 | -120.29 | 0 |
| 3. | 2701-16-799-02-S00N-79- स्टॉक विनिर्माण | 21.23 | 0 | -21.23 | 0 |
| 4. | 2701-16-799-03-S00N-79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम | 49.53 | 0 | -49.53 | 0 |
| 5. | 2711-01-799-03-S00N-79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम | 97.65 | 0 | -97.65 | 0 |

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | व्यय |
|----------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|------|
| पूँजीगत शीर्ष | | | | | |
| 6. | 4215-01-102-26-S00N | 1,316.00 | 0 | -1,316.00 | 0 |
| 7. | 4215-01-102-28-S00N | 150.00 | 0 | -150.00 | 0 |

यह इंगित करता है कि बजट प्रावधान उनकी आवश्यकता का अनुमान लगाए बिना बनाए गए थे, जिसने बजट बनाने की प्रक्रिया एवं व्यय नियंत्रण को कमजोर किया।

(ii) अन्य दृष्टांत में विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान 10 लेखा शीर्षों/ योजनाओं हेतु ₹ 42.43 करोड़ का पर्याप्त प्रावधान किया गया था परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया, जैसाकि तालिका-3.27 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 41 (2) प्रावधान का अनुपालन नहीं किया तथा वित्तीय वर्ष के अंत में भविष्य की अधिकता हेतु बचत को आरक्षित रखा गया।

तालिका-3.27: उन लेखा शीर्षों/योजनाओं का विवरण जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | स्वीकृत बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | अंतिम बजट | व्यय |
|---|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------|
| राजस्व प्रभाग | | | | | | |
| 1 | 2700-01-799-01-S00N79-उंचंत | 358.05 | 0 | 0 | 358.05 | 0 |
| 2 | 2700-01-799-03-S00N79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम | 187.17 | 0 | 0 | 187.17 | 0 |
| 3 | 2701-11-799-01-S00N-79- उंचंत | 4.24 | 0 | 0 | 4.24 | 0 |
| 4 | 2701-11-799-02-S00N-79- स्टॉक विनिर्माण | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 |
| 5 | 2701-11-799-03-S00N-79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 |
| 6 | 2701-21-799-01-S00N-79- उंचंत | 70.76 | 0 | 0 | 70.76 | 0 |
| 7 | 2701-21-799-02-S00N-79- स्टॉक विनिर्माण | 14.15 | 0 | 0 | 14.15 | 0 |
| 8 | 2701-21-799-03-SOON-79- लोक निर्माण कार्य विविध अग्रिम | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0 |
| कुल राजस्व शीर्ष | | 643.56 | 0 | 0 | 643.56 | 0 |
| पूँजीगत शीर्ष | | | | | | |
| 9 | 4702-00-101-07 एलआईएस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना C90N | 3,220.80 | 0 | 0 | 3,220.80 | 0 |
| 10 | 4702-00-101-06 एलआईएस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना S10N | 379.00 | 0 | 0 | 379.00 | 0 |
| कुल पूँजीगत शीर्ष | | 3,599.80 | 0 | 0 | 3,599.80 | 0 |
| सकल योग (राजस्व व पूँजीगत शीर्ष) | | 4,243.36 | 0 | 0 | 4,243.36 | 0 |

तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि के पश्चात विभाग ने कहा कि राजस्व प्रभाग के तहत कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों का निष्पादन अनुमान के अनुसार पूर्ण रूप से नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप सामग्री की मांग कम रही। इसलिए इन लेखा शीर्षों के प्रति निधियों का समायोजन नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे बताया कि पूंजीगत प्रभाग के अंतर्गत योजनाएं स्वीकृति न होने एवं केन्द्रीय अंशदान के अंतर्गत निधियां प्राप्त न होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी घटकों के साथ केन्द्रीय अंश/ राज्यांश, पिछली देयताओं आदि पर विचार करना चाहिए था।

(ग) अनावश्यक/ अत्यधिक पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष में बाद में अन्य इकाइयों के तहत बचत उपलब्ध होने पर उस इकाई में विपथित (डाईवर्टेड) विनियोजन को बहाल करने के इरादे से किसी इकाई से निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान 14 मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान घटाना अपर्याप्त सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के अंत में इन लेखा शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई। इन 14 मामलों का विवरण नीचे तालिका-3.28 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.28: उन मामलों के विवरण जहां पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान घटाने के बावजूद बचत हुई
(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | मूल अनुदान | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | कुल अनुदान | व्यय | बचत |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|--------|---------|
| राजस्व प्रभाग | | | | | | | |
| 1 | 2215-01-001-01-SOONM | 28.37 | 0.20 | -0.90 | 27.67 | 25.21 | -2.46 |
| 2 | 2215-01-001-02-SOON | 6.83 | 0.00 | -0.25 | 6.58 | 6.07 | -0.51 |
| 3 | 2215-01-001-02-SOON | 110.66 | 0.09 | -1.33 | 109.42 | 97.83 | -11.59 |
| 4 | 2215-01-005-01-SOONM | 4.34 | 0.00 | -0.39 | 3.94 | 3.04 | -0.90 |
| 5 | 2215-01-101-02-SOON | 296.91 | 0.00 | -35.46 | 261.45 | 242.61 | -18.85 |
| 6 | 2215-01-101-04-SOON-NP-21 (एम.टी.एस.) | 130.43 | 0.00 | -35.21 | 95.22 | 75.98 | -19.24 |
| 7 | 2215-01-102-03-SOON | 664.04 | 0.00 | -84.57 | 579.46 | 537.91 | -41.55 |
| 8 | 2215-01-102-12-SOON | 423.32 | 0.00 | -83.86 | 339.46 | 236.30 | -103.16 |
| 9 | 2700-01-001-01-SOON | 9.41 | 0.00 | -0.94 | 8.46 | 7.49 | -0.97 |
| 10 | 2702-80-001-01-SOON | 83.42 | 0.00 | -5.61 | 77.80 | 67.97 | -9.83 |
| 11 | 2702-80-001-02-SOON-NP | 250.92 | 0.00 | -30.95 | 219.97 | 192.00 | -27.98 |
| 12 | 2702-80-001-06-SOON | 250.92 | 0.00 | -22.64 | 228.28 | 163.69 | -64.58 |

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | मूल अनुदान | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | कुल अनुदान | व्यय | बचत |
|-----------------------|--|------------|----------------|---------------|------------|-------|-------|
| पूँजीगत प्रभाग | | | | | | | |
| 13 | 4215-01-101-01-SOON(P) UWSS-विभिन्न जिलों में | 33.66 | 0.00 | -0.13 | 33.53 | 30.43 | -3.10 |
| 14 | 4702-00-101-03-SOON एल.आई.एस. नाबार्ड | 52.11 | 0.00 | -3.11 | 49.00 | 48.36 | -0.64 |

सरकार सटीक बजट सुनिश्चित करने हेतु वर्ष के दौरान संभावित व्यय का अनुमान लगाने एवं प्राक्कलित आवश्यकताओं हेतु कठोर तंत्र स्थापित करने पर विचार करें।

(घ) मूल प्रावधानों के अभाव में अनुचित अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोजन

मूल प्राधिकृत अनुदान अथवा विनियोजन के अतिरिक्त किए गए अनुदान अनुपूरक अनुदान या विनियोजन होते हैं। किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है।

इस अनुदान से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2021-22 के दौरान सात लेखा शीर्षों में कोई मूल प्रावधान नहीं बनाया गया था। विभाग ने अनुपूरक अनुदान एवं पुनर्विनियोजन के माध्यम से इन उप-शीर्षों पर ₹ 13.89 करोड़ का व्यय किया। वर्ष के दौरान विभाग ने इन उप-शीर्षों में ₹ 14.06 करोड़ (₹ 0.15 करोड़ के पुनर्विनियोजन एवं ₹ 13.91 करोड़ के अनुपूरक अनुदान द्वारा) का प्रावधान किया। इसके बावजूद विभाग ने अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं किया क्योंकि ₹ 0.17 करोड़ अप्रयुक्त रहे। बजट के मूल प्रावधान के अभाव में किया गया पुनर्विनियोग/अनुपूरक अनुदान अनुचित था तथा यह भी सिद्ध होता है कि बजट प्रावधान का अवास्तविक अनुमान लगाया गया था जिससे बजट निर्माण एवं व्यय नियंत्रण की प्रक्रिया कमजोर हुई। अनुचित अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोजन का विवरण नीचे तालिका-3.29 में दिया गया है।

तालिका-3.29: मूल बजट के अभाव में किए गए पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान एवं किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | अंतिम बजट | व्यय | बचत/ आधिक्य |
|----------|--|---------|----------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| 1 | 4215-01-102-01 SOONM 29-क्षतिपूर्ति (दत्तमत) | 0 | 24.60 | 0 | 24.60 | 24.61 | 0.01 |
| 2 | 4215-01-102-01--SOONM 29-क्षतिपूर्ति (प्रभारित) | 0 | 7.66 | 0 | 7.66 | 7.65 | -0.01 |

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक अनुदान | पुनर्विनियोजन | अंतिम बजट | व्यय | बचत/आधिक्य |
|----------|--|---------|----------------|---------------|-----------|----------|------------|
| 3 | 4701-21-800-01-S00N | 0 | 552.00 | 0 | 552.00 | 551.97 | -0.03 |
| 4 | 29- क्षतिपूर्ति (दत्तमत) | 0 | 0.01 | 14.49 | 14.50 | 14.50 | 0 |
| 5 | 4711-01-800-13-SOON दौलतपुर से गगरेट ब्रिज पीआर IV तक स्वान का चैनलाइजेशन | 0 | 17.17 | 0 | 17.17 | 0 | -17.17 |
| 6 | 4711-01-800-15-SOON छौंच खड्ड में एफपीडब्ल्यू | 0 | 790 | 0 | 790.00 | 790.00 | 0 |
| योग | | 0 | 1,391.44 | 14.49 | 1,405.93 | 1,388.73 | -17.20 |

तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए विभाग ने बताया कि इन मामलों में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न भू-स्वामियों से भू अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति का आकस्मिक भुगतान, भू अधिग्रहण के न्यायालयीन मामले, लंबित देयताओं के निपटान आदि हेतु अनुपूरक अनुदान/ पुनर्विनियोजन किए गए थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने बताया कि वर्ष के दौरान किए गए समस्त अनुपूरक एवं पुनर्विनियोजन तथ्यों पर आधारित हैं तथा सही एवं न्यायोचित हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को वित्तीय वर्ष हेतु भूमि अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति भुगतान, न्यायालय से संबंधित मामलों तथा पिछली देयताओं इत्यादि से संबंधित सभी घटकों पर विचार करना चाहिए था तथा इन लेखा शीर्षों के तहत उचित रूप से बजट प्रावधान करना चाहिए था।

(ड) आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार, विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण का विवरण क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी निर्देशानुसार (अगस्त 2021) आधिक्य तथा अभ्यर्पण के प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम विवरण प्रत्येक वर्ष क्रमशः 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एवं 15 मार्च तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने अपेक्षित थे।

इस अनुदान सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि आधिक्य व अभ्यर्पण के विवरण वित्त विभाग को विलम्ब से प्रस्तुत किए गए थे। विवरण प्रस्तुत करने में सात से 46 दिनों के मध्य का विलंब था। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया जो 2019-22 के दौरान इस अनुदान के तहत सतत बचत में भागीदारी करने वाले कारक हो सकते (देखें परिच्छेद 3.5.2.1) हैं। विवरण नीचे तालिका-3.30 में दिए गए हैं।

तालिका-3.30: आधिक्य व अभ्यर्पण के विवरण प्रस्तुत करने का ब्यौरा

| क्र. सं. | विवरण | देय तिथि | प्रस्तुति की तिथि | विलम्ब (दिनों में) |
|----------|--|------------|-------------------|--------------------|
| 1 | आधिक्य एवं अभ्यर्पण का प्रथम विवरण | 31-10-2021 | 16-12-2021 | 46 |
| 2 | आधिक्य एवं अभ्यर्पण का द्वितीय विवरण | 31-01-2022 | 07-02-2022 | 7 |
| 3 | आधिक्य एवं अभ्यर्पण का तृतीय (अंतिम) विवरण | 15-03-2022 | 28-03-2022 | 13 |

तथ्यों की पुष्टि के पश्चात् विभाग ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण आधिक्य एवं समर्पण विवरणी समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, तथापि विभाग इसे समय पर प्रस्तुत करने के लिए सदैव उत्सुक रहा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्पष्टतः विभाग विवरण प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि का पालन करने में विफल रहा।

(च) राज्य बजट के इतर भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की गई निधियां

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय जापन संख्या 1 (13)/पी.एफ.एम.एस./ एफसीडी/2020 दिनांक 8 दिसंबर 2021 में प्रावधान है कि हर राज्य सरकार को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करना अपेक्षित है। एकल नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापार करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल नोडल खाता खोलेगी। इसके अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा समग्र अव्ययित राशि निश्चित रूप से एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए।

इस अनुदान से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जल जीवन मिशन (पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) नाम की एक केंद्र प्रायोजित योजना (90:10 अंशदान स्वरूप) को विभाग द्वारा हर ग्रामीण परिवार को चलायमान घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने अर्थात् हर घर नल से जल के उद्देश्यों में से एक के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि केंद्र प्रायोजित योजना होने के नाते विभाग ने एक एकल नोडल खाता खोला (जुलाई 2019)। मई 2021 तक भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत निधियां (केंद्रीय अंश) एकल नोडल खाते में राज्य कोषागार के माध्यम से जारी की जा रही थी।

हालांकि चूंकि बकाया राज्यांश के बराबर अंश के साथ केन्द्रीय अंश मिशन के एकल नोडल खाते में समय पर अंतरित नहीं किया जा रहे थे, फरवरी 2021 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का 'एस्करो खाता' संचालित करने का निर्णय लिया।

आगे यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान गैर-केन्द्रीय प्रायोजित योजना-एसटीसी (अनुदान-13), केन्द्रीय प्रायोजित योजना (अनुदान-32) एवं एसटीसी (अनुदान-31) श्रेणी के तहत ₹ 193.12 करोड़ की पहली किश्त का केवल पहला अंश विभाग द्वारा बनाए गए एकल नोडल खाते में प्राप्त हुआ। तदोपरांत पहली किश्त के दूसरे अंश के पश्चात भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के एस्करो खाते यानी जल शक्ति विभाग के जल जीवन मिशन में राज्य के बजट से इतर सीधे ₹ 1,077.50 करोड़ जारी किए गए, जो चिंता का विषय है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को अंतरित की गई निधियों के विवरण नीचे तालिका-3.31 में दिए गए हैं।

तालिका-3.31: वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी को जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण

| क्र. सं. | स्वीकृत संख्या | दिनांक | राज्य सरकार के खाते के माध्यम से जारी राशि (एकल नोडल एजेंसी-65063927212) | राज्य सरकार के खाते से जारी राशि (एस्करो खाता-65063927212) |
|----------|-----------------------------------|------------|--|--|
| | | | (₹ करोड़ में) | |
| 1 | G-11011/2/2021-JJM-DDWS-Part-I/08 | 13-05-2021 | 193.12 | |
| 2 | W-11020/27/2020-JJM-I-DDWS/23 | 30-07-2021 | 0.00 | 193.12 |
| 3 | W-11020/27/2020-JJM-I-DDWS/39 | 30-11-2021 | 0.00 | 193.12 |
| 4 | W-11020/27/2020-JJM-I-DDWS/58 | 28-01-2022 | 0.00 | 193.12 |
| 5 | W-11020/3/2022-JJM-I-DDWS/77 | 30-03-2022 | 0.00 | 498.14 |
| योग: | | | 193.12 | 1,077.50 |

इस प्रकार, राज्य बजट/ कोषागार के माध्यम से न भेज कर भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की गई निधियों ने राज्य बजट निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं राज्य संसाधनों/ वित्त की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

3.6 निष्कर्ष

- बजटीय प्रबंधन स्तरीय नहीं था क्योंकि वर्ष 2021-22 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान एवं विनियोजन का लगभग 90 प्रतिशत रहा। बजटीय आबंटन सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि कुल 32 अनुदानों में से 10 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई; एवं छः अनुदानों में विगत पांच वर्षों से ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई। अनुपूरक प्रावधान भी सही ढंग से नहीं बनाए गए थे क्योंकि 25 मामलों में पूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे।

- वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। छः अनुदानों के तहत अंतिम तिमाही (51-71 प्रतिशत के मध्य) तथा 2022 के मार्च (12-65 प्रतिशत के मध्य) के दौरान पर्याप्त व्यय किया गया था।
- 13 अनुदानों एवं दो विनियोजनों में किया गया ₹ 1,782.17 करोड़ का व्यय राज्य विधायिका द्वारा दिए गए प्राधिकरण से अधिक था। अतिरिक्त व्यय को 2014-15 से 2020-21 की अवधि से संबंधित ₹ 8,818.47 करोड़ के व्यय आधिक्य सहित राज्य विधायिका से नियमित किया जाना अपेक्षित है।
- 80 योजनाओं में से 10 योजनाओं में प्रत्येक मामले में ₹ पांच करोड़ से अधिक के बजट प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 22 योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ पांच करोड़ व अधिक) या तो पुनर्विनियोजन या अभ्यर्पण द्वारा हटा दिया गया। यह राज्य सरकार के विभागों द्वारा कमजोर वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट लाभों का खंडन किया गया तथा संसाधनों का भी अवरोधन हुआ।

3.7 सिफारिशें

- राज्य सरकार बजट प्राक्कलन बनाने हेतु उसके पूर्वानुमानों में और अधिक वैज्ञानिकता एवं सटीकता लाएं।
- राज्य सरकार को निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के संदर्भ में व्यय की प्रगति का पता लगाने तथा बचत/आधिक्य के आंकलन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग अन्य योजनाओं के लिए किया जा सके। विधायिका द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण से अधिक व्यय करने से बचा जाएं तथा इसे शीघ्रतापूर्वक विनियमित किया जाएं।

